'कृषि अवसंरचना कोष' के तहत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना

पृष्ठभूमि:-

भारत के पास किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए सीमित आधारभूत सुविधाएं है और इसलिए 15-20 प्रतिशत उपज बर्बाद हो जाती है जो अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। निवेशकर्ताओं के विश्वास में कमी होने से भारत में कृषि क्षेत्र में निवेश और अधिक रूक गया है जिसके परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्र (वित्तीय वर्ष 18 में सकल मूल्यवर्धन का ~33%) की तुलना में प्लोबैक अनुपात (वित्तीय वर्ष 18 में सकल मूल्यवर्धन का ~14%) कम रहा।

मौजूदा बुनियादी सुविधाओं के अंतर को कम करने तथा कृषि आधारभूत सुविधाओं में निवेश के संघटकीकरण के उद्देश्य से कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से दिनांक 09 अगस्त, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा औपचारिक रूप से 1 लाख करोड़ रूपए की मध्यम अवधि ऋण वित्त पोषण सुविधा की शुरूआत की गई।

मौजूदा योजना:-

इस योजना का उद्देश्य फार्म गेट पर अवसंरचना का निर्माण करना है। इसमें ब्याज छूट और ऋण गारंटी के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से वित्तीय वर्ष 2029 (10 वर्ष) तक है।

2. इस योजना के तहत, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किया जाना है।

3. 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सीजीटीएमएसई) योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत इस वित्तपोषण सुविधा के पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जा रहा है। इस कवरेज का शुल्क सरकार द्वारा भुगतान किया जाना है। एफपीओ के मामले में क्रेडिट गारंटी का लाभ डीएसीएण्डएफडब्ल्यू की एफपीओ संवर्धन योजना के तहत सृजित सुविधा से लिया जाता है।

4. इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों पर 2 करोड़ रुपए की सीमा तक वार्षिक 3% की ब्याज छूट मिलती है। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध है। 2 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण के मामले में, ब्याज छूट 2 करोड़ रुपए तक सीमित होती है।

योजना के तहत हुई प्रगति:-

1. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बारह बैंकों, निजी क्षेत्र के बारह बैंकों, 1 लघु वित्त बैंक और 45+ सहकारी बैंकों/ आरआरबी के साथ डीएसीएंडएफडब्ल्यू ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

2. इस योजना के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका यूआरएल https://agriinfra.dac.gov.in है।

3. योजना के तहत पीएसीएस की 4822 परियोजनाओं (जिसमें नाबार्ड द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत परियोजनाएं शामिल हैं) के लिए 2884 करोड़ रूपये संस्वीकृत किए गए हैं।

4. अब तक, पीएसीएस के अलावा अन्य संस्थाओं से पोर्टल पर 4209 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें से 3237 करोड़ रूपये ऋण की मांग वाले 3049 आवेदन पीएमयू द्वारा प्रथम दृष्टया पात्र पाए गए हैं और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए बैंकों को अग्रेषित किया गया है। इन 3049 आवेदनों में से बैंक ने कुल 1402 करोड़ रूपये के संस्वीकृत ऋण के साथ 1397 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

<u>योजना में प्रस्तावित संशोधन:-</u>

योजना के अंतर्गत आयोजित विभिन्न हितधारकों की चर्चा के दृष्टिगत हमने स्कीम के बजट के उपयोग में सुधार लाने तथा किसानों के लिए और कल्याणकारी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों की पहचान की हैं। ये निम्नलिखित हैं:-

(1) अब इस सुविधा को विस्तारित करके राज्य एजेंसियों/एपीएमसी, राष्ट्रीय एवं राज्य सहकारी संघों, किसान उत्पादक संगठन संघों (एफपीओ) तथा स्वयं सहायता समूह संघों (एसएचजी) को भी इसकी पात्रता में शामिल करना I

(2) वर्तमान में इस योजना के तहत एक अवस्थान में ₹ 2 करोड़ तक के ऋण ब्याज छूट के लिए पात्र होते हैं। यदि एक पात्र इकाई विभिन्न अवस्थानों में परियोजनाएं लगाती हैं तो ऐसी सभी परियोजनाएं ₹ 2 करोड़ तक के ऋण के लिए ब्याज छूट के लिए पात्र होंगी। तथापि, निजी क्षेत्र की इकाई के लिए ऐसी अधिकतम 25 परियोजनाओं की सीमा होगी। 25 परियोजनाओं की यह सीमा राज्य एजेंसियों, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय और राज्य संघों, एफपीओ और एसएचजी के संघों पर लागू नहीं होगी। अवस्थान से तात्पर्य पृथक एलजीडी (स्थानीय सरकारी निर्देशिका) कोड वाले गांव या कस्बे की भौतिक सीमा से है। ऐसी प्रत्येक परियोजना पृथक एलजीडी कोड वाले अवस्थान में होनी चाहिए।

(3) एपीएमसी के लिए उसी मंडी परिसर में अलग-अलग अवसंरचना प्रकार जैसे शीतागार, छंटाई, ग्रेडिंग और मूल्यांकन इकाईयों, साईलोस आदि, वाली प्रत्येक परियोजना के लिए ₹ 2 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगीI

(4) इस योजना की मूल भावना में परिवर्तन किए बिना दिशानिर्देशों में आधारभूत संरचना के प्रकार को हटाने या जोड़ने के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने की शक्तियां माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री में निहित होंगी।

(5) वित्तीय सुविधा की अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष (2025-26 तक) और योजना की कुल अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 13 वर्ष (2032-33) कर दिया गया है।

<u>औचित्य</u>:-

(1) लाभार्थियों की सूची में एपीएमसी, राज्य एजेंसियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सहकारी समितियों के संघों, एफपीओ के संघों और स्वयं सहायता समूहों के संघों (एसएचजी) को भी शामिल करने से निवेश को सृजित करने में गुणोत्तर प्रभाव प्राप्त करने में, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंच पाए, सहायता मिलेगी ।

(2) एपीएमसी मंडियां बाजार संपर्क प्रदान करने और सभी किसानों के लिए खुली फसलोपरांत सार्वजनिक अवसंरचना का परितंत्र सृजित करने के लिए स्थापित की गई हैं। परंतु, जैसा कि "किसान की आय को दोगुना करने पर समिति" द्वारा रिपोर्ट भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट सहित विभिन्न रिपोर्टों पर प्रकाश डाला गया है, एपीएमसी में अवसंरचना की कमी है। नाबार्ड द्वारा 'इलेक्ट्रॉनिक कृषि मंडियों के तहत मंडी अवसंरचना की स्थिति' पर रिपोर्ट यह सुझाव देती है कि विनियमित बाजारों में से केवल 67% में ही ढके हुए और खुले नीलामी प्लेटफार्म हैं, केवल 25% बाजारों में ही ड्राईंग यार्ड होते हैं, प्रशीतन भंडार इकाइयां 10% से कम मंडियों में मौजूद हैं, जबकि ग्रेडिंग की सुविधा केवल 33% से कम मंडियों में है। इसके अतिरिक्त, हाल के कृषि सुधारों के संदर्भ में एपीएमसी के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ, कृषि अवसंरचना निधि में एपीएमसी को शामिल करने से उन्हें मौजूदा अवसंरचना को उन्नत करने में मदद मिलेगी। इसलिए कृषि अवसंरचना निधि के तहत लाभार्थी के रूप में एपीएमसी को शामिल करना और उनकी अवसंरचना सुधार करने में उनकी सहायता करने की बहुत संभावनाएं हैं। अतः, एपीएमसी को लाभार्थी के रुप में कृषि अवसंरचना निधि में शामिल करने और उन्हें उनकी अवसंरचना में सुधार करने में सहयोग देने के लिए पर्याप्त औचित्य है I

(3) राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सहकारी समितियों के संघ, एफपीओ संघ, स्वसहायता समूहों के संघ (एसएचजी) सैकड़ों किसान समूहों को एक साथ लाते हैं और उन्हें पैमाना हासिल करने और बाजार संपर्क बनाने में मदद करते हैं। संघ, राज्य में सतत किसान समूहों के विकास की सुविधा भी देते हैं। वे क्षमता निर्माण, तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय मध्यस्थता, फसलोपरांत अवसंरचना तक पहुंच में सुधार और बाजार संपर्क के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण- महाराष्ट्र में 303 किसान उत्पादक संगठनों के महासंघ महा एफपीसी लिमिटेड ने हाल ही में पुणे में लगभग 50 एफपीओ के साथ कृषि उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन मंडी शुरू करने और इसे स्थापित करने की योजना के लिए नैफेड के साथ भागीदारी की है। वे हब और स्पोक मॉडल के तहत संग्रह, प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण अवसंरचना स्थापित करेंगे, जहां महा एफपीसी हब होंगी और पुणे में लगभग 50 एफपीओ ऑर्डर इकट्ठा करने और सेवा प्रदान करने वाले स्पोक होंगे। उन्होंने पहले ही केवल दालों की खरीद के जरिए ₹ 500 करोड़ के टर्नओवर को प्राप्त कर लिया है और किसानों की मूल्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण सुधार किया है। इसलिए कृषि अवसंरचना निधि के तहत संघों को सहायता देने में बहुत संभावनाएं हैं, अतः इस योजना में लाभार्थियों के रूप में सहकारी समितियों के संघ, एफपीओ के संघों और एसएचजी के संघों को जोड़ने का प्रस्ताव हैI

(4) सहकारी समितियों, एफपीओ और एसएचजी के संघों के समान राज्य स्तरीय एजेंसियां किसान कल्याण की दिशा में काम करती हैं और बड़ी संख्या में किसानों के लिए बाजार और अवसंरचना तक पहुंच में सुधार करती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम ऐसी राज्य एजेंसी का एक उदाहरण है। उन्होंने 80% से अधिक उपयोग के साथ लगभग 39 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता का निर्माण किया है और सहकारी समितियों को 10% और किसानों को 30% छूट प्रदान करते हैं। राज्य भर में 150 से अधिक भंडारगृहों के साथ, उन्होंने किसानों के लिए फसलोपरांत अवसंरचना तक पहुंच में काफी सुधार किया है। किसानों के लिए राज्य भर में अवसंरचना का निर्माण करने वाली कई एजेंसियां हैं और इसलिए राज्य एजेंसियों को योजना के लाभार्थियों के रूप में जोड़ने का प्रस्ताव हैI

(5) वर्तमान योजना के दिशा-निर्देशों में ₹ 2 करोड़ तक प्रति लाभार्थी ऋण के साथ केवल एक परियोजना के लिए ब्याज छूट और ऋण गारंटी लाभ का प्रावधान है। हमारे आउटरीच अभियान के भाग के रूप में, विभाग कई एफपीओ, एग्री एसएमई और अभिनव स्टार्टअपों के साथ बातचीत कर रहा है I ये पात्र लाभार्थी फसलोपरांत अवसंरचना की पहुंच में सुधार करने में लगे हुए हैं और वे फसलों एवं जिलों में कई लघु एवं सीमांत किसानों के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं। वे विभिन्न स्थानों पर अवसंरचना में निवेश करने और अधिकाधिक किसानों को पहुंच प्रदान करने के इच्छुक हैं। उदाहरण के रूप में - सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ~ 8000 किसानों के कल्याण के लिए बड़े एफपीओ के रूप में कार्य कर रहे हैं, कई जिलों में विविध फलों और सब्जियों जैसे अंगूर, केला, अनार, पपीता, शकरकंद, तरबूज, आदि से जुड़े हुए हैं। प्रति लाभार्थी एक परियोजना की सीमा निवेश

के पैमानों और आर्थिक प्रोत्साहनों को सीमित करती है, जो योजना को अनाकर्षित बना रही है । अतः, यदि परियोजनाएं विभिन्न स्थानों के लिए हैं, तो प्रत्येक स्थान के लिए ₹ 2 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज छूट की शर्तों में बिना बदलाव किए प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक से अधिक परियोजना की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा जाता है I ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जहाँ एक इकाई द्वारा सैकड़ों परियोजनाओं की स्थापना करके योजना का सारा लाभ ले लिया जाए, प्रति निजी इकाई अधिकतम 25 परियोजनाओं की सीमा भी प्रस्तावित है। यह सीमा राज्य एजेंसियों, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संघों और एफपीओ और एसएचजी के संघों पर लागू नहीं होगी।

(6) परियोजनाओं को मंजूरी देने और लक्षित आवंटन में क्षेत्रीय संतुलन की आवश्यकता को, चालू वित्तीय वर्ष सहित संवितरण की अवधि को पांच साल तक बढ़ाकर, हासिल किया जा सकता है, जिससे कि वर्ष 2025-26 तक संवितरण की अनुमति मिल सके ताकि अपेक्षित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। चूंकि योजना, वितरण की तारीख से अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है, अतः योजना की कुल अवधि को 10 वर्ष (2020-21 से 2029-30) से बढ़ाकर 13 वर्ष (2020-21 से 2032-33) करने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग ₹ 4,000 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, शेष ₹ 96,000 करोड़ की वित्तीय सुविधा वर्षवार वितरित की गई है जिसे अगले पांच वर्षों में प्रदान किया जाना है।

<u>वित्तीय विविक्षा</u> :-

योजना में प्रस्तावित संशोधनों से कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।